



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:— एफ2(3)लागत/1019 (i)/ 341

दिनांक: 07/9/12

—:: कार्यालय आदेश ::—

1. राज ऑगन योजना में CER न लेने के सम्बन्ध में।

संचालक मण्डल की बैठक संख्या 216.41 दिनांक 16.8.2012 में लिये गये निणर्यानुसार राज ऑगन योजना, सॉगानेर, जयपुर में 90 आर्वेटियों से CER न लेने के निर्णय को कालातीत् स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

2. राज ऑगन योजना में भूमि एवं विकास दर लेने के सम्बन्ध में।

संचालक मण्डल की बैठक संख्या 216.42 दिनांक 16.8.2012 में लिये गये निणर्यानुसार राज ऑगन योजना, सॉगानेर, जयपुर में 38 आर्वेटियों से भूमि एवं विकास दर 1800/- प्रति वर्गमीटर के स्थान पर रूपये 1200/- प्रति वर्गमीटर लेने की कालातीत् स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।


आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ.म., जयपुर।
- 2- व.निजी सहायक-सचिव/वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी/अति.मु. अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/रा.आ.म., जयपुर।
- 3- मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा.आ.म., जयपुर।
- 4- समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त रा.आ.मण्डल,।
- 5- समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड रा. आ. मण्डल,।
- 6- लेखाधिकारी, रा. आ. मण्डल, वृत्त,।
- 7- रक्षित फाईल।


वित्तीय सलाहकार

216th Board Meeting Dated 16-8-2012